

विधानसभा नामकित प्रश्न क्रमांक - [क. 611]

प्रश्नंश- (क) के संबंध में जानकारी

4  
OT  
uploading

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::


भोपाल दिनांक 20/09/2023

क्रमांक : एफ 19-45/2023/1/4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के संबंध में निम्नानुसार समिति का गठन करता है:-

1	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विभागीय कार्य विभाग	सदस्य
3	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग	सदस्य सचिव
4	नामकित प्रतिनिधि, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल	सदस्य
5	शासन द्वारा नामकित वरिष्ठ पत्रकार	सदस्य

2/ उक्त समिति पत्रकार सुरक्षा कानून के संबंध में देश में प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन दो माह की अवधि में प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( दिलीप कुमार कापसे )  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 20/09/2023

पृ. क्रमांक एफ 19-45/2023/1/4

प्रतिलिपि :-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
4. सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत।
5. अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश को सामान्य प्रशासन की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. उप संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

Joshua  
uploading

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

प्रश्नोत्तर - (क) के संबंध में जानकार

मध्यप्रदेश शासन  
जनसम्पर्क विभाग  
मंत्रालय, यल्लभ भवन, भोपाल.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 25 /09/2023  
क्रमांक PRE/2/0002/2023-Sec-1-24(PRE)/जस/24 राज्य शासन एतद द्वारा  
मध्यप्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के संघर्ष में सामान्य प्रशासन विभाग के  
आदेश क्रमांक एफ 19-45/2023/1/4 भोपाल दिनांक 20/09/2023 द्वारा गठित  
समिति में वरिष्ठ पत्रकार श्री गहेश श्रीवास्तव को सदस्य नामांकित किया जाता  
है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( डॉ० कैलाश बुन्देला ) 25.9.23  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

पृ०क० PRE/2/0002/2023-Sec-1-24(PRE)/जस/24 दिनांक 10/9/2023  
प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/ सदस्य /सदस्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, मान० मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन जनसम्पर्क विभाग भोपाल ।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल ।
5. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
6. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल, को सूचनाार्थ प्रेषित
7. निज सहायक, मान० मंत्री जी जनसम्पर्क विभाग ।
8. उप संचालक, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल ।
9. स्वयं फाईल।

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)


क्रं./अकादमिक/2023/1363

भोपाल, दिनांक 04.10.2023

आदेश

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक: एफ 19-45/2023/1/4 भोपाल, दिनांक 20.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से श्री शिवकुमार विवेक, एडजंक्ट प्रोफेसर को सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है।  
(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

  
प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी  
कुलसचिव

भोपाल दिनांक 04.10.2023

पृ.क्रमांक/अका/2023/1364

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-।

1. निज सचिव कुलपति/ कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
3. श्री शिवकुमार विवेक, एडजंक्ट प्रोफेसर को सूचनार्थ।
4. विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग को सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
6. व्यक्तिगत नस्ती/ आदेश नस्ती।

  
(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)  
कुलसचिव

बिसनखेडी परिसर, म.प्र. शूटिंग अकादमी के सामने, भोपाल, -462033, फोन: (0755) 2551642  
Bisankhedi Campus in front of M.P. Shooting Academy, Bhopal (M.P.)-462033, Phone-(0755) 2551642  
website - www.mcu.ac.in/www.mcnujc.ac.in.